जीवन बीमा निगम (समझौता-उपाल्य) अधिनियम, 1976
(1976 का अधिनियम संख्यांक 72)

भारत सरकार

[29 मई, 1976]

भारतीय जीवन बीमा निगम और उसके कर्मचारी के बीच हुए समझौतों के उपाल्य का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सनाईसने वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम रिहा हैः—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जीवन बीमा निगम (समझौता-उपाल्य) अधिनियम, 1976 है।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदभर से अन्यथा अनुसरण न दिया,

(क) “निगम” में जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अभियंत है;

(ख) “वेतन” से आधारित वेतन अभियंत है और इसके अन्यथा निम्नलिखित भी हैं—

(i) विशेष वेतन, जो कोई हो;
(ii) महंगाई भाग; और
(iii) अतिरिक्त महंगाई भाग;

(ग) “समझौता” से अभियंत हैः—

(i) वह समझौता, जो 24 जनवरी, 1974 को निगम और उसके कर्मचारी के बीच औपचारिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ट) के साथ पहुंचत धारा 18 के अधीन हुआ था; और

(ii) वह समझौता, जो 6 फरवरी, 1974 को निगम और उसके कर्मचारी के बीच उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ट) के साथ पहुंचत धारा 18 के अधीन हुआ था और जिसके निविष्टकों के सभी सदस्य में ऐसा कोई अनूठें होती है तथा जैसा कि समझौते के खण्ड 12 के उपखण्ड (2) में उपबन्धित है।

3. समझौतों का उपाल्य—औपचारिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में किसी वात के बरोबर होते अभियंत भी, प्रत्येक समझौते के उपबन्धों का, जहां तक उनका सम्बन्ध निगम के वर्ग 3 और वर्ग 4 के प्रत्येक कर्मचारी को उसके वार्तिक वेतन के पदव्र प्रतिशत की दर से वार्तिक वक्त बोलने के संदाय में है, न तो कोई बल होगा या न वे प्रभावी होंगे और यह समझा जाएगा कि उनका 1 अप्रैल, 1975 को या तो कोई बल या प्रभाव नहीं था।